**भारत सरकार**

**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1050**

**बुधवार, 29 जुलाई, 2015/ 7 श्रावण, 1937 (शक)**

**बाल श्रमिकों की तस्करी**

**1050. श्री संजीव कुमार:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखंड से दिल्ली और देश के अन्य भागों में बाल श्रमिकों की तस्करी की जाती है और उनका अभी भी लघु और घरेलू उद्योगों में अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की बाल श्रम् से छुड़ाए गए उन बच्चों के पुनर्वास की कोई योजना है जिनके पास कोई सहायता उपलब्ध नहीं है अथवा जो अनाथ हैं; और

(घ) क्या ऐसे बच्चों को शिक्षा, इत्यादि मुहैया कराकर मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री बंडारू दत्तात्रेय)**

(क) और (ख): सरकार ने राज्य सरकार को तस्करित बाल श्रमिकों के निवारण, बचाव, स्वदेश लौटाने और पुनर्वास संबंधी नयाचार जारी ‎किया है जो तस्करित बाल श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर दिशा-निर्देश प्रदान करती है। इसके अलावा, मानव तस्करी के खतरे से निपटने की दृष्टि से गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने तस्करी-रोधी नोडल प्रकोष्ठ(एटीसी) परिचालन सहित अनेक उपाय किए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, झारखण्ड में सभी प्रकार के रोजगार में 5-14 वर्ष के आयु समूह के कामकाजी बच्चों की कुल संख्या 90,996 थी।

(ग) और (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनाथों सहित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख और पुनर्वास के लिए सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बाल गृहों की स्थापना एवं रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छुड़ाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना(एनसीएलपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। काम से छुड़ाए गए/बचाए गए 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में दाखिल किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख आदि प्रदान की जाती है। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के सन्निकट सहयोग से औपचारिक शिक्षा पद्धति से सीधा जोड़ा जाता है।

\*\*\*\*